गोपनीय

उत्तर मध्य रेलवे

कार्यालय
महाप्रबंधक / सतर्कता
सूबेदारगंज, प्रयागराज

SIV-06/2024

दिनांक-02.02.2024

पत्र संख्या–2021 / 10 / 01449 / पीसी / वी1 / एन / ए.एल. डी.

प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी, प्रमुख वित्त सलाहकार, मुख्य सुरक्षा आयुक्त/रे.सु.ब./प्रयागराज, अध्यक्ष/रेलवे भर्ती बोर्ड, मुख्य कारख़ाना प्रबन्धक/झाँसी व सिथौली, मण्डल रेल प्रबन्धक/प्रयागराज, झाँसी & आगरा ।

विषयः–बिभागीय परीक्षाओं में प्रश्नपत्र बनाने वाले अधिकारिओ/कर्मचारिओ द्वारा की जाने वाली अनियमितताओ को सुधारने सम्बन्धी सुझाव ।

****

सतर्कता जाँच में पाया गया हैं कि एक मण्डल के बिभागीय परीक्षा में प्रश्नपत्र बनाने वाले अधिकारी द्वारा बहुबिकल्पीय प्रश्न पत्र को कम्प्युटर पर बनाया गया था जिसमें कई प्रश्नो/उतरो को अलग-अलग फॉन्ट में बनाया गया था और कुछ प्रश्नो/उतरो को बोल्ड व फेड किया गया था साथ ही यह भी देखा गया हैं कि बिभागीय परीक्षायों की उत्तर पुस्तिकाओ को मूल्यांकनकर्ता द्वारा मूल्यांकन करने में 3 से 4 माह या अधिक समय लिया जा रहा हैं।

रेलवे बोर्ड द्वारा बिभागीय परीक्षायों के प्रश्नपत्र बनाने व उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्याँकन से सम्बन्धी जारी सभी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किए जाने के साथ ही सतर्कता द्वारा निम्न सुझाव अनुपालन हेतु प्रस्तावित किए जाते हैं :

(i) प्रश्नपत्र बनाने वाले अधिकारी द्वारा कम्प्युटर पर बनाए जाने वाले प्रश्नपत्र को सिर्फ एक ही फॉन्ट में बनाया जाना चाहिए। किसी भी प्रश्न/उत्तर को बोल्ड, फेड या अंडर लाइन नहीं किया जाना चाहिए।प्रश्न पत्र में समरूपता होनी चाहिए।

(ii) प्रश्नपत्र बनाने वाले अधिकारी को बहुबिकल्पीय हिन्दी व अंग्रेजी प्रश्नो के आप्शन की नंबरिंग में समरूपता रखनी चाहिए।

(iii) उत्तर पुस्तिकाओ की मात्रा के आधार पर प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी द्वारा अराजपत्रित पदो हेतु आयोजित बिभागीय परीक्षायों की उत्तर पुस्तिकाओ के मूल्यांकन हेतु एक निश्चित समय सीमा निर्धारित करते हुए दिशा-निर्देश जारी किया जाना चाहिए और प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशो को संबन्धित मण्डल/कारख़ाना के कार्मिक बिभाग द्वारा मूल्याकंकर्ता को अनुपालन हेतु प्राप्त कराया जाना चाहिए ।

(iv) बिभागीय परीक्षायों में उपयोग की जाने वाली OMR sheet की मूल प्रति के साथ **कार्बन प्रति भी होनी चाहिए। कार्बन प्रति को परीक्षा समाप्ति उपरांत मूल प्रति से अलग करके शील बंद लिफाफे में संबन्धित कार्मिक बिभाग में सुरक्षित रख दिया जाना चाहिए।**

अतः अनुरोध हैं कृपया उपरोक्त प्रस्तावो को प्रभावी बनाने कि दिशा में उचित कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें जिससे बिभागीय परीक्षाओं में होने वाली अनियमितताओ पर अंकुश लगाया जा सके। कृपया उपरोक्त सुझावों के क्रियान्वयन के संबंध में कि गयी कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराने कि व्यवस्था करें।

Harish

(हरीश कुमार)
उप मुख्य सतर्कता अधि./यां.
कृते महाप्रबंधक (सतर्कता)